संख्या-125/2020/2465/26-3-2020

प्रेषक,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर 2020

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास रायबरेली का मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-373/स0क0/विकास/छात्रावास/2020-21, दिनांक-18.09.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-94/2020/1769/26-3-2020, दिनांक-15.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-101/2020/ 1961/26-3-2020, दिनांक-31.07.2020 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, इटौरा, जनपद-आगरा में अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में हुयी द्विरावृत्ति से अवगत कराते हुये संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-94/2020/ 1769/26-3-2020, दिनांक-15.07.2020 के क्रमांक-4 में अंकित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, इटौरा, जनपद-आगरा के अनुरक्षण कार्य को निरस्त करते हुये उक्त धनराशि रू0-20.00 लाख क्रमांक-1 पर अंकित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, रायबरेली में अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु आवंटित की जाती है।

3- शासनादेश संख्या-94/2020/1769/26-3-2020, दिनांक-15.07.2020 में उल्लिखित अन्य अनुरक्षण कार्य एवं उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव

पृसं0-125/2020/2465 (1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, सी0एन0डी0एस0, यू0पी0 जल निगम, 5/381 विक्रम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in